# मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः19.02.2026

**थाना पड़री व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 204 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, शराब तस्करी में प्रयुक्त कार सीज-**

“अपर्णा रजत कौशिक” पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 19.02.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पड़री व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिन्धोरा, सागर सेमर मार्ग से सघन चेकिंग कर बी-ब्रेजा कार अंकित वाहन संख्याः BR 01 FS 5180 सवार 02 अभियुक्तगण 1. रणधीर कुमार पुत्र स्व0 वीरचन्द्र राय निवासी बाकरपुर सर्मस्तपुर थाना राजापाकर जनपद वैशाली, बिहार व 2. आशुतोष कुमार सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी हरपुर थाना राजापाकर जनपद वैशाली, बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त से 84 बोतल मैजिक मूमेन्ट (प्रत्येक बोतल 750ml), 108 बोतल रायल स्टेग (प्रत्येक बोतल 750ml) व 12 बोतल बलन्डर्स प्राइड (प्रत्येक बोतल 750ml) अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 204 बोतल) बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0स0- 45/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त उपरोक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया व आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वाहन जब्ती की कार्यवाही करायी जायेगी।

पूछताछ विवरण — गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है तथा प्राप्त धन से अपने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। बरामदशुदा अवैध शराब को उक्त वाहन में छिपाकर ले जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—**

1.रणधीर कुमार पुत्र स्व0 वीरचन्द्र राय निवासी बाकरपुर सर्मस्तपुर थाना राजापाकर जनपद वैशाली,बिहार, उम्र 33 वर्ष।

2. आशुतोष कुमार सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी हरपुर थाना राजापाकर जनपद वैशाली, बिहार, उम्र 42 वर्ष।

**बरामदगी विवरण —**

कुल 204 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) अंग्रेजी शराब

बी ब्रेजा कार अंकित वाहन संख्याः BR 01 FS 5180

**पंजीकृत अभियोग —**

मु.अ.स. 45/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक–

थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिन्धोरा, सागर सेमर मार्ग से दिनांक 19.02.2026 को समय 06.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक राम नगीना यादव मय पुलिस टीम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम।